बिहार सरकार

निर्वाचन विभाग

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय

7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना – 800015

दूरभाष सं0:– 0612-2217956
फैक्स:– 0612-2215611 / 2215978
ई–मेल:– ceo_bihar@eci.gov.in

Press Release

दिनांक :– 14.09.2015

1. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से संपन्न कराने हेतु भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय से दिये गये निदेश के आलोक में पूरे राज्य में अवैध देशी/विदेशी शराब के विरूद्व, छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आज कुल 10386 लीटर अवैध शराब, खगड़िया जिला के मानसी थानान्तर्गत 100 किलोग्राम गाँजा एवं 1 कार, बांका जिला में 1 मोटरसाईकिल, मुंगेर जिला में 3 बेस मशीन तथा 1 ड्रिल मशीन जप्त किया गया।

   गया जिले के रामपुर थानान्तर्गत ₹1,00,00,000/–, मधुबनी जिले के लौकही थानान्तर्गत ₹1,40,000/–, वैशाली जिला में ₹6,00,000/–, समस्तीपुर जिला के रोसड़ा थानान्तर्गत ₹1,00,000/–, भोजपुर जिला में ₹2,70,000/–, नालन्दा जिला में ₹2,90,000/– तथा पटना जिला के कोतवाली थानान्तर्गत ₹13,00,000/– जाँच के दौरान प्राप्त हुए जिसकी छानबीन पुलिस तथा आयकर अधिकारियों द्वारा की जा रही है।

2. निर्वाचन व्यय तथा आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के तहत सभी जिलों में Flying Squad, Check Post/Check Naka आदि के माध्यम से सभी वाहनों की सघन जाँच की जा रही है। जाँच के दौरान वाहनों के कागजात के साथ–साथ वाहन की भी सघन तलाशी ली जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस प्रकार की जाँच के दौरान यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है कि जाँच के क्रम में व्यक्तियों को अनावश्यक रूप से परेशानी नहीं हो तथा इसके लिए विस्तृत Standard Operating Procedure (SOPs) सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध कराया गया है। इस स्तर से भी इस बाबत निदेश दिये गये हैं। पुनः इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सभी व्यवसायियों/आम जनों से अपील है कि वे जाँच के दौरान यदि विशेष परिस्थिति में नगद राशि साथ में ले जाने की आवश्यकता है तो उससे संबंधित कागजात रखें।

3. आदर्श आचार संहिता के Enforcement के द्वारा आज निम्नलिखित मामले दर्ज हुए :–

Defacement in Public Property (Wall Writing, Posters, Banners, Others)	27
Defacement in Private Property (Wall Writing, Posters, Banners, Others)	24
Misuse of Vehicle (Beacon, light, Flag)	22

	Violation of Loudspeaker Act	2
	Inducement /gratification to Electors/Cash, kind Distribution	1
	Others	16

4. Law & Order के तहत निम्नलिखित मामले आज सामने आए :–

No. of Arms/Weapons seized	7
No. of cartridges seized	12
No. of illegal arms manufacturing centres raided and seizures made	12
No. of Licensed Arms verified	190
No. of Licensed Arms deposited	179
No. of Licensed Arms Cancelled	136
No. of non-bailable warrants executed	769
Fine collected in vehicle checking	Rs. 4,15,133

5. तम्बाकू नियंत्रण की दिशा में जागरूकता तथा तम्बाकू के उपयोग को रोकने/हतोत्साहित करने के उद्देश्य से बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 हेतु राज्य के सभी मतदान केन्द्र सार्वजनिक स्थल होने के कारण धूम्रपान मुक्त क्षेत्र हैं। इसकी जानकारी हेतु सभी मतदान केन्द्रों के बाहर इस आशय का पोस्टर भी अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जायेगा। इस संबंध में सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निदेश दिया गया है।

6. जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर आने वाले विमान से उतरने वाले सभी लोगों तथा सभी सामग्री/बैगेज की जाँच निर्धारित विहित प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी। मात्र वैसे व्यक्ति तथा बैगेज, जिन्हें नियमों के तहत् छूट प्राप्त है, को छोड़कर यात्रियों को आने–जाने की अनुमति मात्र मुख्य गेट से ही दी जायेगी। जाँच से छूट पाये व्यक्ति/पद निम्नवत् हैं :–

राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व उप राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायधीश, लोक सभा के अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के उप मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष नीति आयोग, लोक सभा तथा राज्य सभा में प्रतिपक्ष के नेता, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, अन्य देशों के राजदूत/उच्चायुक्त, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, Controller & Auditor General of India, लोक सभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उप सभापति, केन्द्रीय मंत्रिमंडल के राज्यमंत्री, Attorney General of India, कैबिनेट सचिव, केन्द्र

शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल, Chiefs of Staffs, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायधीश, केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, केन्द्र शासित प्रदेशों के उप मुख्यमंत्री, एस०पी०जी० से आच्छादित व्यक्ति, एवं श्री रॉबर्ट वाड्रा (जब वे एस०पी०जी० के साथ चल रहे हों)। इसके अतिरिक्त भारत के राष्ट्रपति के Spouse तथा भूतपूर्व प्रधानमंत्री को भी इस सुरक्षा जाँच से मुक्त किया गया है। उपरोक्त वर्णित सभी व्यक्तियों के सामानों को भी सुरक्षा जाँच से मुक्त किया गया है।

भारत सरकार के सिविल विमानन मंत्रालय के परिपत्र संख्या 36/2005 दिनांक 30.08.2005 द्वारा आच्छादित व्यक्ति/पदों के अतिरिक्त श्री लालू प्रसाद यादव, श्रीमती राबड़ी देवी, श्री शत्रुघ्न सिन्हा एवं श्री रामविलास पासवान के वाहनों को हवाई अड्डा के tarmac तक जाने की अनुमति प्राप्त है।

7. निर्वाचन विभाग के सभागार में आज बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर सारण, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद एवं गया जिले के सभी निर्वाची पदाधिकारी तथा प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के एक सहायक निर्वाची पदाधिकारी के लिए प्रशिक्षण--सह--कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में नामांकन तथा स्क्रूटनी की प्रक्रिया, नामांकन के लिए योग्यता, अयोग्य किये जाने के बिन्दु, नाम वापसी, चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की अंतिम सूची तैयार करना तथा अभ्यर्थियों को प्रतीक चिन्ह आवंटित किये जाने की प्रक्रिया तथा इससे संबंधित भारत निर्वाचन आयोग के दिशा--निदेशों की जानकारी प्रदान की गयी। सभी विषयों पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये वीडियो फिल्म दिखाया गया तथा उनके सभी प्रश्नों का समाधान किया गया।

****